भारत सरकार
गृह मंत्रालय
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या 2460
दिनांक 10 दिसम्बर, 2024/ 19 अग्रहायण, 1946 (शक) को उत्तर के लिए

कारागारों हेतु निधियां
†2460. सुश्री सयानी घोषः

क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या विगत पांच वर्षों के दौरान अनेक राज्यों को सरकार से कारागार के लिए कोई निधि प्राप्त नहीं हुई है, यदि हां, तो कारागार सुधार के लिए राज्यों को कितनी धनराशि आवंटित, उपयोग और जारी की गई है;
(ख) क्या देश में कारागारों में क्षमता से 131 प्रतिशत अधिक कैदी हैं, यदि हां, तो उक्त अवधि के दौरान क्षमता से अधिक कैदियों को कम करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं; और
(ग) क्या सरकार का देश में नई जेलों के निर्माण और जेलों की स्थिति में सुधार करने का कोई प्रस्ताव है, यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री
(श्री बंडी संजय कुमार)

(क): पिछले पाँच वित्तीय वर्षों के दौरान गृह मंत्रालय ने जेल प्रबंधन के तकनीकी उन्नयन के लिए राज्यों एवं संघ राज्य क्षेत्रों को 275 करोड़ रुपये की राशि आवंटित की है ।
(ख): राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो (एनसीआरबी) राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा उसे सूचित किए गए कारागार संबंधी आंकड़ों को संकलित करता है और उनको अपने वार्षिक प्रकाशन "प्रिजन स्टैटिस्टिक्स इंडिया" में प्रकाशित करता है। नवीनतम प्रकाशित रिपोर्ट वर्ष 2022 की है। 31 दिसंबर, 2022 की स्थिति के अनुसार, देश की जेलों में 4,36,266 कैदियों की उपलब्ध क्षमता के मुकाबले उनमें 5,73,220 कैदी बंद थे।

भारत के संविधान की सातवीं अनुसूची की सूची-II के तहत, 'कारागार'/'उनके भीतर बंद व्यक्ति', "राज्य सूची" का विषय है। अत: कैदियों के प्रशासन और प्रबंधन की जिम्मेदारी, जिसमें जेलों में भीड़भाड़ से निपटने का मुद्दा भी शामिल है, संबंधित राज्य सरकारों की है। तथापि, गृह मंत्रालय ने जेलों में भीड़भाड़ की समस्या के समाधान के लिए निम्नलिखित कदम उठाए हैं:

(i) दंड प्रक्रिया संहिता (सीआरपीसी) को बदलकर भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 कर दिया गया है, जो 01 जुलाई, 2024 से लागू हो गई है। भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (बीएनएसएस) की धारा 479(1) में यह प्रावधान है कि 'इस संहिता के अंतर्गत जहां कोई व्यक्ति किसी विधि के अधीन किसी अपराध (जो ऐसा अपराध नहीं है जिसके लिए मृत्यु या आजीवन कारावास का दंड उस विधि के अधीन दंडों में से एक के रूप में विनिर्दिष्ट किया गया है) के अन्वेषण, जांच या विचारण की अवधि के दौरान उस विधि के अधीन उस अपराध के लिए विनिर्दिष्ट कारावास की अधिकतम अवधि की आधी अवधि तक निरुद्ध रहा है, वहां उसे न्यायालय द्वारा जमानत पर रिहा किया जाएगा।'

बीएनएसएस की धारा 479(1) के परंतुक में पहली बार अपराध करने वालों/विचाराधीन कैदियों के लिए भी राहत का प्रावधान किया गया है कि, जहां ऐसा व्यक्ति प्रथम बार अपराधी है (जिसे पूर्व में कभी किसी अपराध के लिए दोषसिद्ध नहीं किया गया है) उसे न्यायालय द्वारा बांड पर रिहा किया जाएगा, यदि वह उस कानून के अधीन ऐसे अपराध के लिए निर्दिष्ट कारावास की अधिकतम अवधि की एक-तिहाई अवधि तक निरुद्ध रह चुका है।

बीएनएसएस, 2023 में धारा 479(3) के अंतर्गत एक नया प्रावधान किया गया है कि जहां अभियुक्त व्यक्ति निरुद्ध है, वहां का जेल अधीक्षक, बीएनएसएस की उपधारा (1) में उल्लिखित अवधि का आधा या एक तिहाई पूरा होने पर, जैसा भी मामला हो, ऐसे व्यक्ति को जमानत पर रिहा करने के लिए न्यायालय को लिखित में आवेदन करेगा।

(ii) भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 के अध्याय XXII में प्रतिवादी और अभियोजन पक्ष के बीच विचारण-पूर्व समझौते का प्रावधान है। यह एक ऐसा प्रयोजन है, जिसके माध्यम से प्रतिवादी को हल्का दंड मिल सकता है और यह कम लागत वाला है, प्रतिवादी और न्यायालय दोनों का समय बचाता है तथा इसमें मामले का शीघ्र निपटान हो जाता है।

(iii) राष्ट्रीय ई-प्रिजन पोर्टल राज्य जेल प्राधिकारियों को कैदियों के आंकड़े त्वरित एवं कुशल तरीके से उपलब्ध करवाने की सुविधा प्रदान करता है और यह उन कैदियों की पहचान करने में उनकी मदद करता है, जिनके मामलों पर "विचाराधीन कैदी समीक्षा समिति" (अंडर ट्रायल रिव्यू कमेटी) द्वारा विचार किया जाना है।

(iv) राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण (नालसा) नि:शुल्क कानूनी सहायता की उपलब्धता, प्ली बार्गेनिंग, लोक अदालतों और कैदियों के जमानत के अधिकार सहित उनके कानूनी अधिकारों के बारे में जागरूकता पैदा करने के लिए भी जेलों में जागरूकता शिविरों का आयोजन करता है। राज्य विधिक सेवा प्राधिकरणों ने जेलों में विधिक सेवा क्लीनिक स्थापित किए हैं, जो जरूरतमंद व्यक्तियों को नि:शुल्क कानूनी सहायता प्रदान करते हैं। ये क्लीनिक यह सुनिश्चित करने के लिए स्थापित किए गए हैं कि सभी कैदियों को उनका पक्ष रखने के लिए अधिवक्ता उपलब्ध हो जाए और उन्हें कानूनी सहायता एवं सलाह उपलब्ध हो जाए।

(v) सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को परिचालित किए गए 'आदर्श कारागार मैनुअल 2016' में 'कानूनी सहायता' और 'विचाराधीन कैदी' आदि पर विशेष अध्याय निहित हैं, जिनमें विचाराधीन कैदियों को उपलब्ध कराई जा सकने वाली सुविधाओं अर्थात कानूनी बचाव, वकीलों के साथ साक्षात्कार, सरकारी खर्चे पर कानूनी सहायता के लिए न्यायालयों में आवेदन करने आदि के संबंध में विस्तृत दिशानिर्देश दिए गए हैं।

(vi) गृह मंत्रालय ने राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों को जेलों में भीड़भाड़ की समस्या से निपटने के समाधान के लिए उपाय अपनाने हेतु विभिन्न एडवाइजरीस जारी की हैं। ये एडवाइजरीस गृह मंत्रालय की वेबसाइट पर उपलब्ध हैं।

(ग): 'कारागार' 'राज्य-सूची' का विषय है, इसलिए राज्य और संघ राज्य क्षेत्र अपने-अपने अधिकार क्षेत्र में आवश्यकता के अनुसार नई जेलों/बैरकों के निर्माण करने और जेलों की स्थिति में सुधार लाने, आदि के लिए सक्षम हैं।

******